अध्याय–III

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अध्याय-III: वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्राप्तियां केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों व इनके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होते हैं एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनायें जो कि राज्य परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं, से विनियमित होते हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित हैं जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह होता है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है जो अनुमोदित योजना, एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30

यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त में, अवधि 2013-14 तक के 11,981 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	7,759	726	730	831	977	958	**11,981**

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अवधि 2008-09 तक के 7,759 आक्षेप बकाया थे। इस प्रकार, बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेद इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान 20 इकाइयों की मापक जांच में विशेष पथकर, पंजीकरण शुल्क, अनुज्ञा शुल्क, चालक अनुज्ञापत्र शुल्क, परिचालक अनुज्ञापत्र शुल्क, शास्ति और राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं में 9,082 प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 20.03 करोड़ सन्निहित थी का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली	5,419	17.04
2.	अन्य अनियमिततायें	3,663	2.99
योग		**9,082**	**20.03**

विभाग ने 8,568 प्रकरणों में ₹ 14.76 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि पूर्ववर्ती वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 2,702 प्रकरणों में राशि ₹ 6.56 करोड़ की वसूली की गयी।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां जिनमें ₹ 15.96 करोड़ सन्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 3.4 से 3.6 में चर्चा की गयी है।

3.4 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, कर पर 5 प्रतिशत अधिभार भी देय है।

अठारह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं जिला परिवहन कार्यालयों के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया (मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि 4,054 वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रेल 2010 तथा मार्च 2013 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान या तो नहीं किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्य को स्थानान्तरित कर दिये गये। कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 12.37 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भार वाहन	1,204	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	2.33	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा एवं सीकर; जिला परिवहन कार्यालय-धौलपुर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, चुरू, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक एवं झालावाड़।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,638	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	3.02	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, सीकर, अजमेर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-धौलपुर, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, झालावाड़, जयपुर (संविदा वाहन), भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं चुरू।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	190	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	3.40	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं सीकर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, जयपुर (संविदा वाहन) एवं चुरू।
4.	मंजिली वाहन	118	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	0.82	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर, दौसा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, एवं झालावाड़।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	संलग्नक भार वाहन	503	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	1.41	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर बीकानेर, सीकर, अजमेर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, टोंक एवं भीलवाड़ा।
6.	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	12	अप्रेल 2012 से मार्च 2013	0.13	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर एवं उदयपुर।
7.	डम्पर/टिप्पर	361	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	1.15	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर भरतपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, एवं चुरू।
8.	निजी सेवा वाहन	28	अप्रेल 2011 से मार्च 2013	0.11	जिला परिवहन कार्यालय-जयपुर (संविदा वाहन)।
योग		**4,054**		**12.37**	

प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने पर (जून 2013 से मई 2014 के मध्य) सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 890 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.35 करोड़ की वसूली कर ली गयी और 35 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.08 करोड़, एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलनीय नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेख उक्त वर्णित स्थिति नहीं दर्शा रहे थे। बकाया प्रकरणों में वसूली की प्रगति की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

3.5 बेड़ा स्वामियों के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर, अधिभार और शास्ति का कम आरोपण

राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2008 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर, बेड़े के समस्त वाहनों, जिसका उपयोग मंजिली वाहनों के रूप में हुआ है या उपयोग हेतु रखे जाते हैं, की चेसिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर से देय होगा। मासिक कर प्रत्येक माह के 14वें दिन या उससे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए, जिसके नहीं कराने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलम्बित भुगतान पर शास्ति देय है। कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार देय है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया (दिसम्बर 2013) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2012-13 के राशि ₹ 115.59 करोड़ कर, अधिभार और शास्ति के जमा कराने थे। जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर, ब्याज, अधिभार और शास्ति के मात्र

₹ 112.77 करोड़ जमा कराये। परिणामस्वरूप विशेष पथकर, अधिभार व शास्ति के रूप में राशि ₹ 2.81 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2014)।

3.6 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का सम्पूर्ण भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में तीन समान किश्तों में किया जा सकेगा। कर पर 10 प्रतिशत दर से अधिभार देय है।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों[1], के वर्ष 2010-11 से 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (मार्च 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 202 परिवहन वाहनों के स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था। स्वामियों ने प्रथम किस्त का पूरा भुगतान किया, पर शेष किश्तों का भुगतान या तो नहीं किया अथवा देय कर से कम किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 78.10 लाख की अवसूली रही।

मामला सम्बन्धित कार्यालयों और सरकार को (जून 2013 से मई 2014 के मध्य) ध्यान में लाया गया। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 56 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 16.38 लाख वसूल किये जा चुके हैं, शेष प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

[1] प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर, सीकर, उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-जयपुर (संविदा वाहन), झालावाड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा।